CNR No.UPJP010001442018

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट), जौनपुर।
उपस्थितः– पशुपति नाथ मिश्रा (उच्चतर न्यायिक सेवा)
विद्युत मुकदमा नं0–79/2018
रजिस्ट्रेशन नं0– 16/2018

राज्य––अभियोगी।

बनाम

पुरूषोत्तम मिश्रा पुत्र महेश्वरी प्रसाद, साकिन मौजा–हिम्मतपुर, थाना–पवारां, जिला जौनपुर।

––––––अभियुक्त।

मु0 अ0 सं0–553/2016
धारा–138(बी) विद्युत अधिनियम,
थाना–पवारां, जिला–जौनपुर।

निर्णय

1. अभियुक्त पुरूषोत्तम मिश्रा का विचारण इस न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध थाना पवारां, जिला जौनपुर की पुलिस द्वारा मु0 अ0 सं0–553/2016 अन्तर्गत धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया जा रहा है।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा संदीप कुमार सरोज अवर अभियन्ता 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र, मुंगराबादशाहपुर द्वारा थाना पवारां, जिला जौनपुर में तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 25.10.2016 को बकाया वसूली तथा चोरी की लाइन चेक करते हुये मैं संदीप कुमार सरोज अवर अभियन्ता 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र, मुंगराबादशाहपुर जौनपुर मय हमराही कर्मचारीगण के साथ समय 00.00 बजे दिन में ग्राम नाथूपुर में पुरूषोत्तम मिश्रा पुत्र माहेश्वरी मिश्रा के परिसर पर पहुंचा जिसका कनेक्शन नंबर–3552216060 है की लाइन बकाया धनराशि मु0–34198/–रूपये होने के कारण संयोजन को काटकर बरामद सामग्री को भण्डारगृह मुंगराबादशाहपुर जौनपुर में जमा करा लिया गया था परन्तु पुनः पुरूषोत्तम मिश्रा पुत्र महेश्वरी प्रसाद चोरी से संयोजन करके विद्युत का उपभोग कर रहे है। अतः रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही की जाय।

3. वादी की उक्त तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर अभियुक्त पुरूषोत्तम मिश्रा के विरूद्ध थाना पवारा, जिला जौनपुर में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.10.2016 को समय 15.10 बजे मुकदमा अपराध संख्या–553/2016 अन्तर्गत धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 पंजीकृत किया गया। जिसका विवरण कायमी जी0 डी0 में अंकित है। विवेचक द्वारा मामले में विवेचना की गयी तथा स्थल का दृष्टि मानचित्र तैयार किया गया एवं गवाहो के बयान अंकित किये गये तथा विवेचना पूर्ण होने के पश्चात विवेचक द्वारा अभियुक्त पुरूषोत्तम मिश्रा के विरुद्ध आरोप पत्र मु0 अ0 सं0–553/2016, अंतर्गत धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम, 2003 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. न्यायालय में उपस्थित होकर अभियुक्त ने अपनी जमानत करायी। अभियुक्त पुरूषोत्तम मिश्रा पर दिनांक 18.12.2018 को अन्तर्गत धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम का बयान

Digitally signed by PASHUPATI NATH MISHRA
Date: 2026.04.08 17:31:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Jaunpur

मुल्जिम अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लगाये गये अपराध से इन्कार करते हुए परीक्षण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में लिखित तहरीर प्रदर्श क–1, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी0 डी0, नक्शा नजरी एवं आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

6. अभियोजन की तरफ से अपने कथानक के समर्थन में पी0 डब्लू0–1 सन्दीप कुमार सरोज (अवर अभियन्ता) को परीक्षित कराया गया है। उक्त के अलावा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

7. अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा साक्षियों की उपस्थिति हेतु पर्याप्त सहयोग न दिये जाने तथा प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2018 से सम्बन्धित प्राचीन वाद होने तथा इसके विचारण हेतु संक्षिप्त प्रक्रिया अपेक्षित होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त कर पत्रावली को वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 हेतु नियत किया गया।

8. अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 22.03.2026 को अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया है व गलत मुकदमा दर्ज होना, गलत आरोप पत्र प्रेषित किया जाना, अभियोजन साक्षी के बयान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। मुकदमा गलत फहमी में चलना कहा है। अभियुक्त ने कोई अतिरिक्त कथन नहीं किया है।

9. मैंने विद्युत विभाग के विद्वान विशेष अधिवक्ता व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

10. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने से पूर्व अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के बयानों को उद्धृत करना समीचीन है।

11. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–01 संदीप कुमार सरोज (अवर अभियन्ता)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि मैं दिनांक–25.10.2016 को 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र मुंगराबादशाहपुर में बतौर अवर अभियन्ता कार्यरत रहा। उक्त दिनांक को विद्युत चोरी चेकिंग अभियान के तहत पुरूषोत्तम मिश्रा पुत्र महेश्वरी प्रसाद ग्राम–हिम्मतपुर, थाना पवारां, जिला जौनपुर के कनेक्शन संख्या–3552–216060 के परिसर को चेक किया, जो कनेक्शन पूर्व में मु0–34198/–रूपये बकाये पर काटी गयी थी जिसे पुरूषोत्तम मिश्रा बिना विभागीय व बिना बकाया जमा किये अवैध रूप से जोड़कर चलाते हुये पाये गये जिसके बाबत मौके पर तहरीर तैयार करके सम्बंधित थाना पवारा जौनपुर में मय स्टाफ लाइनमैन प्रमोद, दीनानाथ यादव के साथ जाकर दिया था जिसके बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हुयी। पत्रावली में संलग्न छायाप्रति जिसके पृष्ठ भाग पर थाना पवारा द्वारा प्रमाणित किया गया है कागज संख्या–3क/3 तहरीर मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है और उस पर बने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया। पुरूषोत्तम मिश्रा उपरोक्त का उक्त कनेक्शन निजी नलकूप हेतु स्वीकृत था जो बकाये में पूर्व में कटी थी। पत्रावली पर संलग्न का0 सं0–3क/3 तहरीर उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दौरान विवेचना विवेचक ने मेरा बयान अंकित किया था।

इसी साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मुझे नहीं मालुम कि पुरूषोत्तम मिश्रा द्वारा अपना बकाया जमा किया गया है की नहीं, मुझें नहीं मालुम। मैं गवाही देने आने के पूर्व विद्युत विभाग का रजिस्टर देखकर नहीं आया हूं। पत्रावली में जो फोटो स्टेट रसीद संख्या–776381 दिनांकित 31.12.2016 पुरूषोत्तम मिश्र द्वारा जमा की गयी रसीद को देखकर बताया कि यह विभाग की रसीद है। प्रदर्श क–1 फोटो स्टेट है जो अप्रमाणित है, मूल थाने पर है। पत्रावली पर पुरूषोत्तम की बिजली काटी गयी उसका कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में दाखिल है या नहीं मुझें नहीं पता है। जब मैने प्रदर्श क–1 थाने पर दिया तो विद्युत काटने का कोई प्रमाण पत्र थाने पर नहीं दिया था।

दौरान विवेचना विवेचक ने मेरा बयान लिया था। उस समय भी मैं दरोगा जी को पूर्व में कोई विद्युत काटने का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया था। जब मैं पुरूषोत्तम की बिजली काटा था तब मैं कोई प्रमाण पत्र नहीं बनाया था। मैने विद्युत काटने का कोई प्रमाण पत्र लिखा पढ़ी में नहीं तैयार किया था। जब किसी का विद्युत बिल बकाया होता है तो उसकी लिस्ट एक्सियन द्वारा बनायी जाती है। उस लिस्ट में विद्युत काटने का कोई निर्देश नहीं होता है जो बिल में ही लिखा होता है कि बिल न जमा कर नियत तिथि के उपरान्त बिजली काट दी जायेगी। उपरोक्त के तहत बिजली काट देते है। यह कहना गलत है कि बिजली कभी नहीं कटी थी। यह भी कहना गलत है कि पुरूषोत्तम द्वारा अवैध धन न देने के कारण उस पर फर्जी मुकदमा किया गया।

12. विद्वान विशेष लोक अभियोजक विद्युत अधिनियम द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में परीक्षित अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से विद्युत विभाग की कार्यवाही युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित होती है। अभियोजन साक्षी सं0–1 संदीप कुमार सरोज उपखण्ड अधिकारी विद्युत ने लिखित तहरीर को **प्रदर्श क–01** के रूप में साबित किया है। अभियोजन कथानक परीक्षित मौखिक साक्षी की साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्यों से युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित होता है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

13. अभियोजन के तर्कों का विरोध करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध रंजिशन झूठी कार्यवाही मात्र कार गुजारी दिखाने के उद्देश्य से की गयी है। परीक्षित साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और न ही वे घटना स्थल पर मौजूद थे और न ही उनके द्वारा घटना देखा जाना बताया गया है। फर्द कथित घटना स्थल पर नहीं लिखी गयी है। नमूना सर्व मोहर दाखिल नहीं है, जिसके कारण अभियोजन कथानक का संदिग्ध होना प्रकट होता है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन का यह दायित्व है कि वह अभियुक्त पर लगाए गए आरोप को युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित करे तथा उसे बचाव पक्ष की कमियों का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। अभियोजन पक्ष प्रकरण में अपनी ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाए गए आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। उपरोक्त आधारों पर संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

14. पत्रावली के परिशीलन से एवं उभयपक्ष के तर्कों के आलोक में निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि–

1–क्या अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे अपने कथानक को जैसा कि उसने अभिकथित किया है सिद्ध करने में सफल रहा है अर्थात् दिनांक 25.10.2016 को समय 15.10 बजे के पूर्व बहद् स्थान ग्राम हिम्मतपुर थाना पवारां, जिला जौनपुर में वादी मुकदमा संदीप कुमार सरोज अवर अभियन्ता मय हमराही कर्मचारीगण के साथ विद्युत चेकिंग करते हुये गये तो देखा कि जिनका कनेक्शन नं0–3552/216060 विद्युत बिल बकाया होने के कारण काटी गयी थी, को अभियुक्त द्वारा बिना बिजली बिल जमा किये उक्त विधुत कनेक्शन को पुनः अवैध रूप से केबिल जोड़कर विद्युत उपभोग किया जा रहा था?

2–क्या अभियुक्त ने धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम, 2003 का अपराध कारित किया अथवा नहीं?

15. विधि व्यवस्था–**भागीरथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1976 इलाहाबाद केसेस सुप्रीम कोर्ट 1** में माननीय न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन को अपने साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करना होगा। उसे बचाव पक्ष के कमियों का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार विधि व्यवस्था–**नरेश बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2018(4) सुप्रीम कोर्ट 482** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब

तक दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता जबतक कि किसी घटना में उसकी भूमिका एवं संलिप्तता युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित नहीं हो जाती।

16. उपरोक्त तर्क के आलोक में अभियोजन साक्षी की साक्ष्य के परिशीलन से प्रकट है कि पी0 डब्लू0–1 संदीप कुमार सरोज ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि '' दिनांक 25.10.2016 को मैं 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र मुंगराबादशाहपुर, थाना मुंगराबादशापुर, जिला जौनपुर में अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत था। उस दिन समय 00.00 बजे दिन में बिजली बकाया की वसूली हेतु चेकिंग करते हुये मय हमराहियान के साथ ग्राम–हिम्मतपुर थाना पवारां जिला जौनपुर में पुरूषोत्तम मिश्रा के परिसर पर पहुंचा जिनका कनेक्शन नं0–3552/216060 जो विद्युत बकाया के कारण काटा गया था बिना बिजली बिल जमा किये अवैध रूप से बिना विभाग की अनुमति के अभियुक्त पुरूषोत्तम मिश्रा द्वारा पुनः लाइन जोड़कर विद्युत उपभोग किया जा रहा था। मौके पर बरामद सामग्री को भण्डार गृह मुंगराबादशाहपुर में जमा कर दी गयी और मौके पर फर्द तैयार करके मय टीम के साथ थाना पवारा, जिला जौनपुर में तहरीर संदीप कुमार सरोज अवर अभियन्ता द्वारा दी गयी थी जिस पर मैने हस्ताक्षर किया था। दौरान विवेचना पुलिस ने मेरा बयान लिया था। मूल तहरीर पत्रावली पर छायाप्रति के रूप में विद्यमान है जिस पर प्रदर्श–1 डाला गया''। इसी साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि कथित काटी गयी विद्युत कनेक्शन से मौके पर बरामद सामान उसके सामने न्यायालय में नहीं है। वह मौके पर गया था और उसके साथ विद्युत विभाग के हमराही कर्मचारीगण भी मौके पर गये थे। बिजली का कनेक्शन निजी नलकूप हेतु पुरूषोत्तम मिश्रा के नाम से स्वीकृत था जो विद्युत बकाया होने के कारण पूर्व में काट दी गयी थी। उसका कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में दाखिल नहीं है। पत्रावली में दाखिल फोटो स्टेट रसीद संख्या–776381 दिनांकित 31.12.2016 अभियुक्त पुरूषोत्तम मिश्रा द्वारा जमा की गयी रसीद को देखकर बताया कि यह विभाग की रसीद है। लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 जो फोटो स्टेट है वह प्रमाणित नहीं है। वह मौके पर गया था और विद्युत से सम्बंधित सामान बरामद करते हुये कार्यवाही किया था। इसी साक्षी ने प्रति परीक्षा में यह भी कथन किया है कि कनेक्शन विच्छेदित करने के बाबत कोई प्रपत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जब उसने लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 थाने पर दिया था तो विद्युत काटने का कोई प्रमाण पत्र थाने पर नहीं दिया था और न ही कोई प्रमाण पत्र बनाया था। उसने विद्युत काटने का कोई प्रमाण पत्र लिखा–पढ़ी में नहीं तैयार किया था। जब किसी का विद्युत बिल बकाया होता है तो उसकी लिस्ट एक्सियन द्वारा बनायी जाती है और उस लिस्ट में विद्युत काटने का कोई निर्देश नहीं होता है बल्कि बिल में ही लिखा होता है कि बिल न जमा करने पर नियत तिथि के उपरान्त बिजली काट दी जायेगी जिसके तहत बिजली काट देते है।

17. इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी–1 संदीप कुमार सरोज ने स्वयं अपने मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा में तथाकथित दिनांक व समय पर विद्युत बकाया की वसूली हेतु बिजली चेकिंग करते हुये मय हमराही कर्मचारीगण को साथ लेकर अभियुक्त के निजी नलकूप मशीन पर बिजली चेकिंग हेतु पहुंचा गया जहॉ पर उनके द्वारा पाया गया कि निजी नलकूप कनेक्शन नंबर–3552/216060 जो पुरूषोत्तम मिश्रा के नाम से था वह विद्युत बिल बकाया होने के कारण काटा गया था परन्तु अभियुक्त पुरूषोत्तम मिश्रा द्वारा बिना बिजली बिल जमा किये अवैध रूप से बिना विभाग की अनुमति के लाइन जोड़कर चोरी से विद्युत उपभोग किया जा रहा था जिसे विच्छेदित कर मौके से विद्युत से सम्बंधित सामान बरामद की गयी। जिसकी फर्द मौके पर तैयार करके मय टीम के थाने में तहरीर दी गयी। उक्त समस्त तथ्यों की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से वादी के साथ गये हमराही कर्मचारीगण में से किसी भी विद्युत कर्मचारी को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही किसी अन्य जनसाक्षी को परीक्षित कराया गया है जिससे कि अभियोजन कथानक को बल मिलता हो।

18. विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अभियुक्त पुरूषोत्तम मिश्रा द्वारा धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम का अपराध कारित किया गया है अथवा नहीं?

19. धारा 138 विद्युत अधिनियम के अपराध कारित करने के लिए आवश्यक है कि अभियोजन के द्वारा यह सिद्ध हो कि बिजली बकाया होने के फलस्वरूप पूर्व में अभियुक्त का बिजली कनेक्शन काटा गया था जिसको उसने अवैध रूप से बिना विभाग की अनुमति के जोड़कर विद्युत का उपभोग किया जा रहा था। प्रस्तुत मामले में विद्युत विभाग का केवल एक साक्षी पी0 डब्लू01 संदीप कुमार सरोज, अवर अभियन्ता को अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया है। जिसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त के नाम से निजी नलकूप का कनेक्शन था, बिजली का उक्त कनेक्शन पुरूषोत्तम मिश्रा के नाम से था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी यही सूचना अंकित है। अभियोजन की ओर से पूर्व प्रश्नगत कनेक्शन जो काटा गया उस सम्बन्ध में कोई प्रपत्र या प्रमाण पत्र पत्रावली में दाखिल नहीं है और न ही मौखिक साक्षी द्वारा किसी पूर्व बिजली विच्छेदन के दिनांक व समय का कोई उल्लेख किया गया है। ऐसे में धारा 138 विधुत अधिनियम का अपराध गठित नहीं होता है और न ही सिद्ध हो रहा है।

20. इसके अतिरिक्त जो अभियोग पंजीकृत कराया गया है वह पी0 डब्लू01 के कथनानुसार उसके हस्ताक्षर से तहरीर थाने पर दी गयी जिसे वादी संदीप कुमार सरोज के द्वारा तहरीर करना बताया गया है। यद्यपि मूल तहरीर पर पी0 डब्लू0–1 संदीप कुमार सरोज अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर है इसने अपने मौखिक साक्ष्य में उसने स्पष्ट उल्लेख किया है कि उसके साथ घटना स्थल पर हमराही कर्मचारीगण उपस्थित थे परन्तु कथित घटना के सम्बन्ध में जो तहरीर वादी के द्वारा हमराही कर्मचारीगण के सामने लिखा गया उस पर चक्षुदर्शी साक्षीगण के रूप में वादी के अलावा अन्य किसी कर्मचारीगण या किसी जनसाक्षी के नाम अंकित नहीं है। अभियोजन न्यायालय में वादी के अलावा विद्युत विभाग के हमराही कर्मचारीगण व पब्लिक के गवाहों को परीक्षित कराकर उक्त तहरीर में लिखे गये कथनों की पुष्टि करा सकते थे परन्तु अभियोजन द्वारा वादी संदीप कुमार सरोज अवर अभियन्ता के अलावा विद्युत विभाग के किसी अन्य हमराही कर्मचारीगण व किसी अन्य जनसाक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः चक्षुदर्शी साक्षीगण के अभाव व अन्य किसी निश्चियात्मक साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त पर तथाकथित आरोप अन्तर्गत धारा–138 (बी) विद्युत अधिनियम युक्ति–युक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में अभियोजन असफल रहा है।

21. इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि तथाकथित जो विद्युत कनेक्शन सं0–3552/216060 पूर्व में विद्युत बिल बकाया होने के कारण काटना कहा गया है, अभियुक्त द्वारा विभाग को बिना कोई सूचना दिये वगैर अवैध रूप से एल. टी. लाईन के बिजली के पोल से केबिल जोड़कर चलाये जा रहे विद्युत मशीन आदि का कोई विवरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है। तहरीर के अनुसार जब चेकिंग किया गया तो बिजली के पोल से कनेक्शन करके औद्योगिक विधा में विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी, को कटवाकर बरामद सामग्री को विद्युत भण्डार गृह मुंगराबादशाहपुर में जमा करा दिया गया था किन्तु अभियोजन द्वारा उक्त बरामद सामान को बतौर साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया गया। इससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध होता हैं। इसके अतिरिक्त नक्शा–नजरी जो पत्रावली पर हैं जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 'ए' वह स्थान है जहॉ पर बिजली का पोल है जहॉ से बिजली पोल से अवैध केबिल कनेक्शन जोड़कर ''बी'' स्थान पर जोड़कर औद्योगिक विधा में विद्युत उर्जा उपभोग किया जाना दर्शाया गया है। 'ए' स्थान से 'बी' की दूरी कितनी है और क्या–2 सामान बरामद किया गया इसका उल्लेख नक्शा नजरी व प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है जबकि अभियोजन साक्षी–1 ने अपने लिखित प्रार्थना पत्र में अभियुक्त के

परिसर से मात्र सामग्री बरामद किया जाना बताया है परन्तु संयोजन काटकर क्या–क्या सामान बरामद किया गया इसका कोई भी उल्लेख न तो तहरीर में है और न ही अपने साक्ष्य में बताया है और न ही बरामदशुदा सामान के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है और न ही बरामद शुदा सामान को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसे उक्त साक्षी से साबित कराया गया है। ऐसे में नक्शा–नजरी में भी महत्वपूर्ण त्रुटियॉ हैं।

22. विधि व्यवस्था–**विजय सिंह प्रति मध्य प्रदेश राज्य 2005 क्रिमिनल लॉ जरनल पृष्ठ–299 (बी)** के अनुसार नक्शा–नजरी तैयार किया जाना केवल एक औपचारिकता नहीं है, अपितु यह अपराध कारित किये जाने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दृढ़ निष्कर्ष पर पहॅुचने के लिए आवश्यक अभिलेख होता है। नक्शा–नजरी में महत्वपूर्ण त्रुटि होने पर उसका लाभ अभियुक्त को मिलता है। उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में नक्शा–नजरी में जो कमियां हैं, उसका लाभ भी अभियुक्त पक्ष को पहुंचता है।

23. उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त पुरूषोत्तम मिश्रा के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम, 2003 को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है और समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त पुरूषोत्तम मिश्रा को विद्युत मुकदमा संख्या–79/2018, मु0 अ0 संख्या–553/2016, अंतर्गत धारा 138 (बी) विद्युत अधिनियम 2003, थाना पवारां, जिला जौनपुर के अभियोग में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त करते हुये प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन किया जा चुका है, जो निर्धारित अपीलीय अवधि तक प्रभावी रहेगा।

दिनांक–08.04.2026

(पशुपति नाथ मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष
न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), जौनपुर।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 6446

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–08.04.2026

(पशुपति नाथ मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष
न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), जौनपुर।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 6446